

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./56002/2014

जयपुर, दिनांक :

8 DEC 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यस्थल पर "सूचना बोर्ड" लगाए जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 2 के पैरा 22(iv) में प्रावधान है कि प्रत्येक कार्यस्थल पर "नागरिक सूचना बोर्ड (citizen information board)" लगाया जाना आवश्यक है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप समय-समय पर अद्यतन किया जायेगा। विभिन्न निरीक्षणों के दौरान यह देखा गया है कि कार्यस्थल पर इस प्रकार के "सूचना बोर्ड" नहीं लगाए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह निर्देशित किया गया कि प्रत्येक कार्यस्थल पर स्थानीय सामग्री से निर्मित स्थायी सूचना बोर्ड लगाए जाए एवं इसका प्रावधान कार्य के तकमीने में रखा जावे।

इस संबन्ध में निर्देशित किया जाता है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक कार्यस्थल पर स्थानीय सामग्री से निर्मित स्थायी सूचना बोर्ड आवश्यक रूप से लगाए जावे तथा इन पर कार्य के संबन्ध में विस्तृत जानकारी आवश्यक रूप से लिखवायी जावे। साथ ही जियोटैगिंग हेतु कार्यों की फोटोग्राफी करते समय उक्त सूचना बोर्ड को भी शामिल करते हुए फोटो महात्मा गांधी नरेगा सॉफ्ट पर भी अपलोड किया जावे। निर्देशों की पालना सुनिश्चित करायी जावे तथा पालना नहीं करने वाले संबन्धित कार्मिकों के विरुद्ध महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के सैक्शन 25 के तहत कार्यवाही की जावे।

भवदीय

राजीव सिंह ठाकुर 6/12/16

(राजीव सिंह ठाकुर)

सचिव, ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
3. आयुक्त, ईजीएस।
4. परि.निदे.ईजीएस/अतिरिक्त आयुक्त/वित्तीय सलाहकार/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस मुख्यालय।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला परिषद बाडमेर।
7. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति समस्त।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस